मेरठ छावनी में पीने के पानी की समस्या

1461. **श्री शांति त्यागी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ छावनी बोर्ड के क्षेत्र में घनी आबादी वाले इलाकों में निवासियों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या को हल करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पेय जल की सप्लाई की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यह कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां।

(ग) पानी की सप्लाई बढ़ाने की एक योजना को मंजूरी दी जा चुकी है और योजना के पहले दो चरणों का कार्य पूरा हो चुका है । इससे बी० आई० बाजार और बी० सी० बाजार में पानी की सप्लाई में सुधार हुआ है। लगभग 1.34 करोड़ रु. की लागत का तीसरे चरण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का पूरा होना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए यह बताना व्यवहार्य नहीं होगा कि किस निश्चित तिथि तक यह कार्य पूरा हो जाएगा ।

सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी गुप्त दस्तावेज़

1462. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी गुप्त दस्तावेजों की जांच का कोई आदेश दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे दस्तावेज मास्को, लंदन और टोकियो के अभिलेखागारों में बन्द पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा में सुधार के संबंध में "सार्क" देशों की सिफारिश

1463. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा में सुधार लाने तथा निरक्षरता दूर करने के उपाय ढूंढने के लिये 15 जून, 1990 को दिल्ली में "सार्क" के सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा सतत् शिक्षा पर "सार्क" विशेषज्ञ दल की बैठक 15 से 18 जून, 1990 तक नई दिल्ली में हुई ।

(ख) इस दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी :—

— सभी "सार्क" सदस्य देशों को सरकारें आवश्यक रूप से साक्षरता के लिये

सुस्पष्ट राजनैतिक संकल्प व प्रतिज्ञाएं तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्पष्ट सुनिश्चित, राजनैतिक नीति तैयार करें। महत्वाकांक्षी परन्तु यथार्थ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनैतिक संकल्प की अभिव्यक्ति उच्चतर व अनुपातिक वित्तीय संसाधनों तथा प्रशासनिक निर्देशों में दर्शाई जानी चाहिए।

– साक्षरता के महत्व को मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के एक अभिन्न भाग के रूप में माना जाना चाहिए तथा साक्षरता घटक को सभी विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाए;

– प्रत्येक शिक्षु द्वारा कार्यात्मक साक्षरता के न्यूनतम व पूर्वनिर्धारित स्तर की प्राप्ति पर बल दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित साधन तैयार किए जाने चाहिए;

- प्रारंभिक, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा के व्यापीकरण को पारस्परिक सहायक कार्यक्रमों के रूप में देखा जाना चाहिए और प्रत्येक एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे तथा निम्नलिखित रूप से इसको संस्थागत बनाया जाएगा; समाज कल्याण संगठनों, प्राइमरी स्कूलों, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए उपलब्ध विद्यमान संसाधनों–भवन-उपकरण, पाठ्यपुस्तकों पुस्तकालय सुविधाओं, अध्ययन सामग्री तथा कार्मिकों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए इस रूप में प्रयोग में लाना चाहिए कि समुदाय में साक्षरता के लिए मांग बढ़े तथा जो मातापिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर सके।

- प्राथमिक स्कूलों से छात्रों व स्नातकों को साक्षरता कार्यक्रमों के प्रेरक व आयोजक के रूप में गतिशील व प्रशिक्षित किया जा सकता है। व साक्षरता कार्यों व अर्थ निकाल कर साक्षरता का संदेश दे सकते हैं;

— प्राथमिक स्कूलों का समुदाय को सेवायें व सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा अखंडता व सामंजस्य का केन्द्र बनाया जा सकता है।

— सभी बच्चों के लिए अतिरिक्त स्कूल सुविधाएं इस प्रकार निर्मित करना कि किसी भी बच्चे को 1 कि० मी० से अधिक न चलना पड़े (विशेष रूप से लड़कियों के मामले में) तथा गरीब बच्चों के निशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफार्म तथा छात्रवृत्ति के रूप में प्रेरक सहायता प्रदान करना;

— कार्यक्रम की दक्षता में शिक्षुओं का विश्वास उत्पन्न करने के लिए साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा अन्य कई कार्यक्रमों मुख्यतः पाठ्यचर्या सामग्री, प्रशिक्षण व मूल्यांकन में जीवन कुशलता, सम्प्रेषण कुशलता तथा उत्तरजीवन कुशलता का समाकलन;

— पाठ्यचर्या सामग्री व वास्तविक अध्यापन में जनसंख्या शिक्षा का समाकलन, साक्षरता, उत्तर-साक्षरता व सतत शिक्षा की अध्ययन प्रक्रिया;

— साक्षरता व विकास कार्यक्रमों के बीच निम्नलिखित रूप से संपर्क स्थापित करना;

— अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क तथा उनके कार्यकलापों में भाग लेना;

— अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेना;

— अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के उपयोग के लिए विभिन्न

विकास विषयों पर चार्ट, पोस्टर; साहित्य प्राप्त करना ;

— संसाधन व्यक्तियों के चयन व प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न स्तरों पर विकेन्द्रीकरण आधार पर सहयोगी प्रशिक्षण के लिए संस्थानिक उपाय उचित पाठ्यचर्या व सामग्री तैयार करना; प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षकों से संपर्क रखना तथा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में प्रशिक्षण के वास्तविक अवसरों के संबंध में पुननिवेशन प्राप्त करना ;

— प्रत्येक परियोजना का उचित प्रभावी मूल्यांकन आरम्भ किया जाना चाहिए तथा चल रहा कार्यक्रम/परियोजना जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं इस पर निर्णय लेने से पहले उपलब्धियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए ।

— भारतीयकरण–संस्कृति अपनाना तथा सामग्री उत्पादन चयन व कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में आत्म निर्भरता तथा मूल्यांकन कार्यक्रम के उपकरण व तकनीकें इस प्रकार तैयार करना कि जो उन्हें स्थानीय संस्कृति प्रकृति व लोकाचार से संगत बना सके ;

— महिलाओं व अन्य असुविधा प्राप्त दलों के लिए विशेष प्रेरक पैकेज तैयार करना तथा पाठ्यचर्या सामग्री व अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में इस प्रकार की कुशलताओं का समाकलन; जो उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें ;

— पारंपरिक व अपारंपरिक साधनों को शिक्षुओं की गतिशीलता व प्रेरक माध्यमों के रूप में काम में लाना तथा उचित सोफ़टवेयर पैकेज तैयार करने के लिए स्थानीय प्रतिभा का उपयोग ;

— साक्षरता, उत्तरसाक्षरता व सतत शिक्षा में संपर्क दृष्टिकोण क्षेत्र विशेष तथा गहन होना चाहिए, विभिन दलों की विशेष आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता आधारित महत्व दिया जाना चाहिए ;

सहयोग के क्षेत्र में दल ने निम्नलिखित विशेष सिफारिशें की हैं :

साक्षरता उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों में जुटाये व शामिल किए जाने वाले सभी लक्ष्य दलों के लिए शैक्षिक व तकनीकी संसाधन सहायता प्रदत्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना;

प्रत्येक सदस्य देश एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा । दल ने यह देखा कि विद्यमान निम्नलिखित संस्थानों को यदि सुदृढ़ किया जाए तो वह शैक्षिक व तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान कर सकने हैं :

— भूटान राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग ।

— भारत-प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली ।

— मालद्वीप-शिक्षा मंत्रालय, माले ।

— नेपाल-प्रौढ़ शिक्षा अनुभाग, शिक्षा व संस्कृति मंत्रालय, काठमांडू ।

— पाकिस्तान-नेटकाम, इस्लामाबाद के तत्वाधान में राष्ट्रीय साक्षरता व प्रशिक्षण संस्थान ।

— श्री लंका-राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, कोलम्बो ।

दल ने सदस्य देशों से अतिरिक्त कार्मिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने व उन्हें सुदृढ़ करने हेतु कदम उठाने की अपील की ।

राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (रा०स०के०) निम्नलिखित कार्य करेगा :

— अध्ययन-अध्यापन सामग्री उत्तर साक्षरता व सतत शिक्षा सामग्री शोध पेपर पत्र पत्रिकाओं, बाल पेपर, समाचार पत्र आदि सहित प्रौढ़ शिक्षा पर साहित्य के भंडार के रूप में कार्य करेगा ;

— दस्तावेजों की एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए सुविधा के साथ पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र स्थापित करना तथा जहां भी संभव हो राज्य/प्रांतीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यकलाप प्रोन्नत करना;

— साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा के क्षेत्र में सभी संगत सामग्री को देश के अंदर प्रचार के लिए विकासी ग्रह के रूप में कार्य करना;

— साक्षरता व प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं व प्रशिक्षण पद्धतियां तैयार करना ;

— पाठ्य-चर्या की पद्धतियों व तकनीकों का विकास तथा साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करना ;

— मीडिया, संचार सहायता के लिए नीतियों का विकास तथा कार्यक्रम के लिए पर्यावरण निर्माण ।

— शिक्षा परिणाम और रचनात्मक तथा संकलित पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन को आंकने के लिए तकनीक और क्रिया विधियां विकसित करना ;

— अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और शैक्षिक-अनुसंधान में हुई उपलब्धियों को प्रयोग में लाने के तरीके खोजना और उन्हें प्रयोग में लाना ;

— प्रौढ़ शिक्षा में अनुसंधान शुरू करना, और उसको बढ़ावा देना, प्रशिक्षण पद्धतियों, पाठ्यचर्या को व्यवहार में लाने, सामग्री और मूल्यांकन कार्यप्रणाली के प्रयोग पर पुनर्वेश प्राप्त करना ।

— साक्षरता, उच्च साक्षरता और सतत शिक्षा में रुचि रखने वाली विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों और व्यक्तियों का सहयोग/साझेदारी प्राप्त करना;

— साक्षरता के प्रसार के मामले, साक्षरता उन्मूलन के लिए क्षेत्र-आयोजना आदि शामिल हैं, पद्धतियां और तकनीक विकसित करना ;

सार्क अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ।

— नीचे लिखे कार्यों को करने के लिए; साक्षरता, उच्च साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए सार्क क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के संबंध में सार्क बैठक बहुत महत्वपूर्ण है ;

— सभी सदस्य देशों से साक्षरता, उच्च साक्षरता और सतत शिक्षा से संबंधित प्रलेखन और सूचना प्राप्त करना तथा उसका प्रसार करना ;

— सदस्य देशों में क्रियान्वित किए गए विशिष्ट और नवीन कार्यक्रमों से संबंधित सूचना इकट्ठी करना और उसका प्रसार करना ;

— सदस्य देशों के विशिष्ट क्षेत्रों में समय-समय पर अध्ययन दौरे आयोजित करना ;

— शिक्षा परिणाम, साक्षरता कौशल को बनाए रखने प्रशिक्षण प्रक्रियाओं शैक्षिक प्रणाली-विज्ञान आदि जैसे निर्धारित विषयों पर संयुक्त अध्य करना ;

— साक्षरता, उच्च साक्षरता और सतत शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित करना ;

दल ने यह सिफारिश की है कि सार्क तकनीकी शिक्षा समिति जल्द ही इस विषय में आवश्यक निर्णय करेगी ।

उपयुक्त सूचीबद्ध कार्यों तथा सभी सदस्य देशों को इन कार्यकलापों को

शुरू करने से होने वाले लाभों को देखते हुए दल इस बात से सहमत हुआ कि इनमें से कुछ कार्यकलापों को "सार्क" संसाधन नेटवर्क द्वारा चलाया जा सकता है। दल ने नोट किया है कि भारत साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग समन्वित करेगा तथा दल ने सिफारिश की है कि भारत-"सार्क" संसाधन केन्द्र के विधान पर उचित निर्णय लेने तक "सार्क" संसाधन नेटवर्क के कार्यकलापों का अस्थायी रूप से समन्वय कर सकता है।

दल ने जोरदार सिफारिश की कि राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र व "सार्क" संसाधन केन्द्र की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

दल ने यह भी स्वीकार किया कि सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रमों का विनिमय शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिए :—

1. प्रकाशनों, पोस्टर, मुद्रित सामग्री, शोध पेपर, पत्र-पत्रिकाओं, अध्ययन अध्यापन सामग्री का विनिमय ;

2. शोध खोज, मूल्यांकन रिपोर्टों का विनिमय ;

3. दृश्य-श्रव्य सामग्री का विनिमय ;

4. शिल्पवैज्ञानिक-शिक्षाशास्त्रीय निवेश का विनिमय।

दल ने "सार्क" दृश्य-श्रव्य विनिमय समिति से साक्षरता, उत्तर साक्षरता व सतत शिक्षा विषय पर संयुक्त रूप से टी०वी० कार्य-क्रम निर्मित करने का अनुरोध किया है।

विशेषज्ञ दल की उपर्युक्त सिफारिशें विदेश सचिव संबंधी सार्क स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् कार्यान्वित की जायेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा के महाविद्यालयों को धन का आवंटन

1464. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों को कितना कितना धन आवंटित किया है ;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों ने इन आवंटनों के विरुद्ध रोष प्रकट किया है तथा उपकुलपति के सामने अपनी मांगें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष के 40.07 करोड़ रु० के आवंटन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली कालेजों को अनुरक्षण अनुदान के लिए 50.00 करोड़ रु० आवंटित किए हैं। कुछ कालेजों ने वित्तीय कठिनाइयों की शिकायत की है। आयोग ने कालेजों को आश्वासन दिया है कि दिल्ली कालेजों को अनुरक्षण अनुदानों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियां दी जाएंगी।

Revival of public sector DA Committee

1465. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Public Sector DA Committee has been revived after its earlier term expired on March 30;

(b) if so, what were the circumstances that led to allow the Committee to expire and subsequently to revive it;